[2018] 9 एस. सी. आर. 291

तहसीन एस. पूनावाला

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2016 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 754)

17 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 32- गाय संरक्षण समूह

हिंसा में लिप्त होना-गोरक्षकता और लिंचिंग की अन्य घटनाएं-रिट पिटीशन यू/आर्ट। 32 हिंसा में लिप्त गोरक्षा समूहों के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग-सोशल मीडिया से हिंसक सामग्री को हटाने के लिए निर्देश जारी करना-आयोजित: लिंचिंग का कार्य गैरकानूनी है जीवन और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आह्वान करना संवैधानिक कर्तव्य है-कोई भी नागरिक दूसरे की मानवीय गरिमा पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि

इस तरह की कार्रवाई कानून की महिमा को कम कर देगी-अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है

राज्यों का प्रमुख दायित्व यह देखना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुख्य समूह कानून को अपने हाथों में न ले-यह देखा जाना चाहिए कि सतर्कता, गोरक्षा या किसी भी धारणा की कोई अन्य सतर्कता न हो, अन्यथा यह अराजकता, अराजकता, अव्यवस्था की शुरुआत कर देगी-इस प्रकार, सतर्कता की अनुमति नहीं दी जा सकती-लिंचिंग कानून के शासन और संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है।

कानून का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है-इसलिए, निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों के रूप में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं-केंद्र और राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर उक्त उपायों को पूरा करना है।

दिशा-निर्देश-गोरक्षकता, लिंचिंग की घटनाएं और भीड़ हिंसा-गोरक्षकता और गोरक्षकता की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों के रूप में दिशा-निर्देश जारी करना।

लिंचिंग।

कानून-लिंचिंग का अपराध-लोगों के लिए सिफारिशें

विधायिका, संसद, लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध बनाने और उसके लिए पर्याप्त सजा प्रदान करने के लिए।

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुख्य समूह कानून को अपने हाथों में न ले।

प्रत्येक नागरिक को कानून के उल्लंघन के बारे में पुलिस को सूचित करने का अधिकार है। एक अपराध के लिए दर्ज किया गया अभियुक्त संवैधानिक और वैधानिक योजना के तहत निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का हकदार है और उसके बाद, उसे रिकॉर्ड में लाए गए साक्षय और कानूनी सिद्धांतों के अनुप्रयोग के आधार पर न्यायपालिका द्वारा निर्णय के अनुसार दोषी ठहराया जा सकता है या बरी किया जा सकता है। सड़कों पर किसी भी तरह की जांच, मुकदमा और सजा नहीं हो सकती। न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया न्यायालयों के पवित्र परिसरों के भीतर होती है न कि सड़कों पर। किसी को भी यह दावा करते हुए कानून का संरक्षक बनने का अधिकार नहीं है कि उसे किसी भी तरह से कानून की रक्षा करनी है। [पैरा 15] [312-जी-एच; 313-ए-बी]

कृष्णमूर्ति बनाम। शिवकुमार और अन्य (2015) 3 एस. सी. सी. 467 [2015] 4 एस. सी. आर. 987; शक्ति वाहिनी बनाम। भारत संघ और अन्य 2018 (5) स्केल 51; नंदिनी सुंदर और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2011) 7 एस. सी. सी. 547 [2011] 8 एस. सी. आर. 1028; मो. हारून और अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2014) 5 एस. सी. सी. 252: [2014] 4 एससीआर 907; आर्कबिशप राफेल चिनाथ एस. वी. डी. वी. उड़ीसा राज्य और अन्य (2016) 9 एस. सी. सी. 682 का उल्लेख किया गया है।

1.2 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जिन अधिकारियों को राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका प्रमुख दायित्व यह देखना है कि सतर्कता, चाहे वह गोरक्षा हो या किसी भी धारणा की कोई अन्य सतर्कता, न हो। जब किसी प्रकार के विचार वाला कोई भी मुख्य समूह कानून को अपने हाथों में लेता है, तो यह अराजकता, अराजकता की शुरुआत करता है।

अव्यवस्था और अंततः एक हिंसक समाज का उदय होता है। सतर्कता को, कल्पना के किसी भी विस्तार से, आकार लेने के लिए जगह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह बिल्कुल एक विकृत धारणा है।

कुछ आवेदन इस आधार पर दायर किए गए हैं कि मवेशियों की तस्करी और जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। यह कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं जिन्हें सर्वेक्षण, रोकथाम और मुकदमा चलाना होता है। किसी को भी उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने और यह भावना रखने का अधिकार नहीं है कि वह स्वयं कानून और दंडक है।

एक देश तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ

जहाँ कानून का शासन प्रचलित है, वहाँ इस तरह के किसी भी विचार की अनुमति नहीं है।

वास्तव में, यह ऐसे विचारों को तत्काल बहिष्कृत करने का आदेश देता है। [पैरा 17] [313-एफ-जी; 314-ए-बी]

1.3 लिंचिंग कानून के शासन का अपमान है और

स्वयं संविधान के उच्च मूल्य। यह बिना किसी विरोधाभास के डर के कहा जाता है कि अनियंत्रित भीड़ द्वारा लिंचिंग और उकसावे और उकसावे से उत्पन्न बर्बर हिंसा को दिन का नियम नहीं बनने दिया जा सकता है। इस तरह की सतर्कता, चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए हो या किसी भी कारण से उत्पन्न हो, राज्य की कानूनी और औपचारिक संस्थाओं को कमजोर करने और संवैधानिक व्यवस्था को बदलने का प्रभाव डालती है। सतर्कता के उथल-पुथल भरे काले बादलों का लोकतंत्र और न्याय के शानदार तरीकों को कुचलने का प्रभाव पड़ता है जिससे कानून का दुखद विघटन होता है और

सभ्यता और मानवता के सभी रूपों का उल्लंघन करना। जब तक इन घटनाओं को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक वह दिन दूर नहीं जब इस तरह के राक्षसों के आत्म-घोषित नैतिकता के नाम पर एक विशाल प्रलय का रूप धारण करने की संभावना है। इसका सीधा उल्लंघन है

कानून के शासन और सहिष्णुता और मानवता के उच्च विश्वासों की सर्वोत्कृष्ट भावना। [पैरा 18] [314-बी-ई] 1.4 सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई करके और सतर्कता समाज द्वारा भीड़ सतर्कता और भीड़ हिंसा को रोका जाना चाहिए

जिन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना कानून को अपने हाथों में लेने के बजाय राज्य तंत्र और पुलिस को देनी चाहिए। बढ़ती असहिष्णुता और बढ़ते ध्रुवीकरण के माध्यम से व्यक्त किया गया

भीड़ हिंसा की घटनाओं को देश में सामान्य जीवन शैली या कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो सामाजिक संरचना के मज्जा के संरक्षण से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में, राज्य का एक पवित्र कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को अनियंत्रित तत्वों और सुनियोजित लिंचिंग और सतर्कता के अपराधियों से अत्यंत ईमानदारी और सच्ची प्रतिबद्धता के साथ ऐसी घटनाओं से निपटने और उन पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित रखे जो उसके कार्यों और योजनाओं में प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

[पैरा 19] [314-ई-एच]

1.5 असहिष्णुता, वैचारिक प्रभुत्व और पूर्वाग्रह के उत्पाद के रूप में घृणा अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए; ऐसा न हो कि इसके परिणामस्वरूप आतंक का शासन हो। अतिरिक्त न्यायिक तत्व और गैर-राज्य अभिनेता [2018] 9 एस. सी. आर.

कानून या कानून लागू करने वाली एजेंसी का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिना किसी कट्टर दृष्टिकोण के एक मनगढ़ंत पहचान

बहुलता और विविधता की स्वीकृति उत्तेजक होती है

स्वयं को मनुष्यों के अमानवीकरण में परिवर्तित करना। ऐसा वातावरण वह है जिसमें तर्कसंगत बहस, तार्किक चर्चा और कानून का ठोस प्रशासन नहीं होता है जिससे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित विभिन्न स्वतंत्रताओं के लिए खतरा। एक व्यक्ति के विचार, कार्य, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, विवेक और व्यक्तिगत विकल्पों की स्वतंत्रता को दूसरे द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और यह उद्देश्य की कमी के कारण है।

कृत्यों और स्थितियों को तर्कसंगत बनाना। [पैरा 20] [325-ए-सी]

1.6 विभिन्न रूपों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी अधिकारों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

लोकतांत्रिक विचारों के विकास के लिए बीज अंकुरित करना। आवाजों की बहुलता एक उदार लोकतंत्र के संवैधानिक विचार का जश्न मनाती है और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए। यही हमारे राष्ट्र का विचार और सार है जिसे जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग या धर्म की संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। बहुलवाद और सहिष्णुता आवश्यक गुण हैं और वास्तव में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण खंडों का गठन करते हैं। यह दृढ़ता से कहा जाना चाहिए कि एक गतिशील समकालीन संवैधानिक लोकतंत्र विचार और दृष्टिकोण में बहुलवाद को समायोजित करने की आवश्यक विशेषता को आत्मसात करता है ताकि सामंजस्य और एकता को बनाए रखा जा सके। हठधर्मी मानसिकता से उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता उथल-पुथल के बीज बोती है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक भयावह प्रभाव डालती है। इसलिए सहिष्णुता को बढ़ावा देना होगा और इसका अभ्यास करना होगा।

और किसी भी तरह से पतला होने की अनुमति नहीं है। [पैरा 21] [325-डी-जी]

एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम और अन्य (1989) 2

एस. सी. सी. 574 [1989] 2 एस. सी. आर. 204-संदर्भित।

हैंडिसाइड वी। यूनाइटेड किंगडम 1976 ईएचआरआर 737 -

संदर्भित किया गया।

1.7 संवैधानिक वैधता के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण में, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोपरि माना जाता है और इसलिए, लोकतांत्रिक सरकारों को स्वतंत्रता के लिए मजबूत पैर जमाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि उच्च मूल्यों को बनाए रखा जा सके।

भारत और अन्य का संघ

जाति, वर्ग या धर्म। नस्ल, जाति, वर्ग या धर्म की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का सकारात्मक दायित्व राज्य का है। राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दे ताकि विचारों और मान्यताओं के स्वतंत्र खेल और परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के सह-अस्तित्व की अनुमति दी जा सके। उत्तेजक। स्वतंत्र आवाज कभी भी सच्चे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं दे सकती है। ऐसे समाजों का निर्माण करना आवश्यक है जो सभी क्षेत्रों में विविधता को अपनाएं।

और राज्य तंत्र में नागरिकों के विश्वास का पुनर्निर्माण करना। [पैरा 23] [316-डी-एफ]

1.8 हमारे राष्ट्र के जीवित रहने के लिए, बिना कुचले हुए, यह एक आवश्यक पूर्व शर्त है कि सभी को भावना को अपनाना चाहिए कि वे विविधता के आवश्यक घटक हैं जो एकता के संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं और संवैधानिक लोकाचार के साथ सामंजस्य में बहुलवादी धारणाओं का सम्मान करते हैं। [पैरा 32] [319-ई-एफ]

सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1

एस. सी. सी. 558 [1991] 3 पूरक। एससीआर 121; श्री आदि

काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के विशेश्वर और अन्य बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। (1997) 4 एससीसी 606: [1997] 2 एस. सी. आर. 1086; कर्नाटक राज्य और एक अन्य v.

डॉ. प्रवीण भाई थोगाडिया (2004) 4 एस. सी. सी. 684: [2004] 3 एस. सी. आर. 652; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललाई सिंह यादव (1976) 4 एस. सी. सी. 212: [1977] 1 एससीआर 616 -

संदर्भित किया गया।

1.9 कानून गिरफ्तारी और समान रूप से जांच और परिणामी मुकदमे के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। यही हुआ है

संविधान के अनुच्छेद 21 पर विचार करते हुए इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई। अतः नागरिकों के अधिकारों को गैरकानूनी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता है। जिस तरह जांच एजेंसी को वैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रति निष्ठा दिखानी होती है, उसी तरह प्रत्येक नागरिक को कानून और कानूनी प्रक्रिया के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने और कानून की महिमा की रक्षा करने वाली किसी भी चीज़ को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। जब सतर्कता [2018] 9 एस. सी. आर.

वे खुद को लिंचिंग या किसी भी तरह की क्रूरता में शामिल करते हैं, वास्तव में, वे एक नागरिक की कानून के प्रति आवश्यक जवाबदेही को वेंटिलेटर पर रखते हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मुख्य समूह ऐसा नहीं कर सकते हैं।

उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति दी जाए। उन्हें अपनी मनगढ़ंत धारणाओं के आधार पर जीवन की शांति को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वे किसी व्यक्ति को कोई औचित्य बताकर दंडित करने वाले नहीं हैं। आरोपित पक्षों द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदनों में सामने रखा गया रुख और रुख वैधानिक कानून के प्रावधानों के कुछ उल्लंघनों को व्यक्त करने का इरादा रखता है, लेकिन

सजा का निर्धारण किसी को भी कानून के रक्षक के रूप में व्यवहार करने और अपनी पसंद और कल्पना के अनुसार सजा देने के लिए खुद को अधिकृत करने का अधिकार नहीं देता है। यही भूमिका और कर्तव्य है।

कानून लागू करने वाली एजेंसियां जो कानून के लिए जानी जाती हैं। किसी और को उस भूमिका को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि इस क्षेत्र में स्वयंभू रक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। उनका एकमात्र अधिकार कानून लागू करने वाली एजेंसी को अपराध, यदि कोई हो, की सूचना देना है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अभियोजकों का कर्तव्य है कि वे अभियुक्त व्यक्तियों को निर्णय देने वाले कानून के समक्ष लाएँ।

अधिकारी, जो अपने जन्मजात प्रशिक्षण और न्याय की भावना के साथ, अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अध्ययन करते हैं, कानून के प्रावधानों का पालन करते हैं और निर्णय पारित करते हैं। चीजों की योजना में, बाहरी ताकतें रक्षकों की भूमिका नहीं निभा सकती हैं और एक बार जब वे उक्त रास्ता बनाते हैं, तो वे खुद को आपराधिकता से जोड़ते हैं और खुद को अपराधियों की श्रेणी में लाते हैं। उनके लिए यह याद रखना अनिवार्य है कि वे कानून के अधीन हैं और धारणाओं या भावनाओं या भावनाओं या उस मामले में विश्वास से निर्देशित नहीं हो सकते हैं। [पैरा 34] [320-डी-एच; 321-ए-बी]

डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 एससीसी 416: [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 284; जोगिंदर कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 260; नीलाबती बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य (1993) 2 एस. सी. सी. 746 एम. पी. बनाम राज्य श्यामसुंदर त्रिवेदी और अन्य (1995) 4 एस. सी. सी. 262 [1995] 1 पूरक। एससीआर 44; अर्नेश कुमार बनाम। बिहार राज्य और दूसरा (2014) 8 एस. सी. सी. 273: [2014] 8

एस. सी. आर. 128-संदर्भित।

एक्स पार्टी रिगिन्स (C.C.N.D. अला। , 1904) 134 फेड। 404 ; विल्सन बनाम। गार्सिया 471 यू. एस. 261 (1985)-संदर्भित।

तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ

कानून जो प्रदान करता है उसे वैध तरीकों से छीन लिया जा सकता है; यही कानून की मौलिक अवधारणा है। उक्त नींव को हिलाने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी नागरिक मानव गरिमा पर हमला नहीं कर सकता। दूसरा, इस तरह की कार्रवाई कानून की महिमा को धूमिल कर देगी। सभ्य समाज में कानून का डर ही अपराधों को रोकता है। जब निवारक उपाय विफल हो जाते हैं, तो अपराध होता है और फिर उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय करने होते हैं। के लिए कदम

कानून के कार्यान्वयन के लिए हर स्तर पर लिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत: दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने आवश्यक हैं। [पैरा 39] [323-डी-एच]

1.11 निवारक उपाय

प्रत्येक जिले में अधिकारी। ऐसे नोडल अधिकारी को उपाय करने के लिए जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारियों में से एक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकें। वे एक विशेष कार्य बल का गठन करेंगे ताकि खुफिया रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।

उन लोगों के बारे में जिनके इस तरह के अपराध करने की संभावना है या जो घृणा भाषण, उत्तेजक बयान और झूठी खबरें फैलाने में शामिल हैं। ((ii) राज्य सरकारें तुरंत उन जिलों, उप-मंडलों और/या गाँवों की पहचान करेंगी जहाँ लिंचिंग की घटनाएँ और

मान लीजिए, पिछले पाँच वर्षों में हाल के दिनों में भीड़ हिंसा की सूचना मिली है। पहचान की प्रक्रिया इसके भीतर की जानी चाहिए।

निर्धारित अवधि के भीतर।

(iii) संबंधित राज्यों के गृह विभाग के सचिव राज्य के नोडल अधिकारियों को निर्देश/सलाह जारी करेंगे।

यदि उनके अधिकार क्षेत्र में भीड़ हिंसा की कोई घटना उनके संज्ञान में आती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिन्हित क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त सतर्क हों, संबंधित जिले।

(iv) इस प्रकार नामित नोडल अधिकारी जिले के सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों के साथ जिले में स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ नियमित बैठकें (महीने में कम से कम एक बार) करेगा ताकि जिले में सतर्कता, भीड़ हिंसा या लिंचिंग की प्रवृत्तियों की पहचान की जा सके और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों या ऐसी प्रवृत्तियों को भड़काने के लिए किसी अन्य माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की घटनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए जा सकें। नोडल अधिकारी ऐसी घटनाओं में लक्षित किसी भी समुदाय या जाति के खिलाफ शत्रुतापूर्ण वातावरण को खत्म करने का भी प्रयास करेगा।

सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें (कम से कम तिमाही में एक बार) और राज्य पुलिस खुफिया प्रमुख। नोडल अधिकारी मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए किसी भी अंतर-जिला समन्वय के मुद्दे को डी. जी. पी. के ध्यान में लाएंगे।

राज्य स्तर पर मुद्दे।

(vi) प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह धारा 129 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर करे।

सी. आर. पी. सी., जो उनकी राय में, हिंसा का कारण बनती है या सतर्कता के भेष में लिंचिंग की तबाही मचाती है या

अन्यथा।

(vii) भारत सरकार के गृह विभाग को पहल करनी चाहिए और राज्य के साथ समन्वय में काम करना चाहिए।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और किसी भी जाति या समुदाय के खिलाफ भीड़ हिंसा और लिंचिंग की रोकथाम के उपायों की पहचान करने और सामाजिक न्याय और कानून के शासन के संवैधानिक लक्षय को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए सरकारें।

(viii) पुलिस महानिदेशक पुलिस गश्त के संबंध में पुलिस अधीक्षकों को एक परिपत्र जारी करेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में अतीत की घटनाओं और महानिदेशक के कार्यालय द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी को ध्यान में रखते हुए। इसका एकमात्र अर्थ यह है कि गश्त में गंभीरता होनी चाहिए ताकि ऐसे अपराधों में शामिल असामाजिक तत्वों को हतोत्साहित किया जाए और वे कानून की सीमाओं के भीतर रहें और इस प्रकार कानून को अपने हाथों में लेने के बारे में सोचने से भी डरें।

तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ

(ix) केंद्र और राज्य सरकारों को करना चाहिए

रेडियो और टेलीविजन और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारण

राज्यों के गृह विभाग और पुलिस की आधिकारिक वेबसाइटों को शामिल करते हुए कि लिंचिंग और किसी भी प्रकार की भीड़ हिंसा कानून के तहत गंभीर परिणाम को आमंत्रित करेगी।

(x) इस पर अंकुश लगाने और इसे रोकने के लिए कदम उठाना केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी कर्तव्य होगा।

गैरजिम्मेदाराना और विस्फोटक संदेशों, वीडियो का प्रसार

और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अन्य सामग्री जो भीड़ हिंसा और किसी भी प्रकार की लिंचिंग को उकसाने की प्रवृत्ति रखती है।

(xi) पुलिस आई. पी. सी. की धारा 153 ए और/या कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगी।

ऐसे व्यक्ति जो गैर-जिम्मेदाराना और विस्फोटक संदेशों और वीडियो का प्रसार करते हैं, जिसमें ऐसी सामग्री होती है जिससे भीड़ की हिंसा और किसी भी प्रकार की लिंचिंग को उकसाने की संभावना होती है।

स्थिति की गंभीरता और गंभीरता को दर्शाता है और किए जाने वाले उपाय। [पैरा 40] [324-ए-एच; 325-ए-एच]

उपचारात्मक उपाय

(i) राज्य पुलिस द्वारा किए गए निवारक उपायों के बावजूद, यदि यह स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आता है कि लिंचिंग या भीड़ हिंसा की कोई घटना हुई है, तो क्षेत्राधिकार वाला पुलिस स्टेशन आईपीसी और/या कानून के अन्य प्रावधानों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बिना किसी अनुचित देरी के तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराएगा।

((ii) यह उस स्टेशन हाउस अधिकारी का कर्तव्य होगा, जिसके पुलिस स्टेशन में ऐसी एफ. आई. आर. दर्ज की गई है, कि वह तुरंत इसकी सूचना दे।

जिले में नोडल अधिकारी जो बदले में यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित (ओं) के परिवार के सदस्यों का आगे कोई उत्पीड़न न हो। (iii) ऐसे अपराधों में जांच की व्यक्तिगत रूप से नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा कि जांच प्रभावी ढंग से की जाए और ऐसे मामलों में आरोप पत्र प्राथमिकी दर्ज करने या आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया जाए।

(iv) राज्य सरकारें लिंचिंग/भीड़ की तैयारी करेंगी।

शारीरिक चोट की प्रकृति, मनोवैज्ञानिक चोट और आय की हानि जिसमें रोजगार और शिक्षा के अवसरों की हानि और कानूनी और चिकित्सा खर्चों के कारण होने वाले खर्च शामिल हैं। उक्त क्षतिपूर्ति योजना में भीड़ हिंसा/लिंचिंग की घटना के तीस दिनों की अवधि के भीतर पीड़ितों या मृतक के रिश्तेदारों को अंतरिम राहत देने का प्रावधान भी होना चाहिए। (v) लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों की सुनवाई विशेष रूप से नामित अदालतों/फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा की जाएगी।

प्रत्येक जिले में उस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसी अदालतें

दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करें। अधिमानत: मुकदमा लेने की तारीख से छह महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा।

संज्ञान। यह निर्देश लंबित मामलों पर भी लागू होगा। जिला न्यायाधीश उन मामलों को जहाँ तक संभव हो एक क्षेत्राधिकार न्यायालय को सौंपेगा ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। यह देखना राज्य सरकारों और विशेष रूप से नोडल अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि अभियोजन एजेंसी सख्ती से काम ले।

मुकदमे को उचित रूप से आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है। (vi) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में, अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को दोषी ठहराए जाने पर, निचली अदालत को आम तौर पर फैसला देना चाहिए।

आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अधिकतम सजा।

(vii) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतें, किसी गवाह या जनता के आवेदन पर कर सकती हैं।

अभियोजक ऐसे गवाह के संबंध में या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, सुरक्षा के लिए और गवाह की पहचान और पते को छिपाने के लिए ऐसे उपाय करता है, जो वह उचित समझता है।

(viii) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में पीड़ितों या मृतक के रिश्तेदारों को समय पर नोटिस दिया जाएगा।

किसी भी अदालती कार्यवाही का और वह सुनवाई का हकदार होगा। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत, रिहाई, रिहाई और पैरोल जैसे आवेदनों के संबंध में मुकदमे में। उन्हें दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या सजा पर लिखित निवेदन दायर करने का भी अधिकार होगा।

तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ

(ix) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में पीड़ित (ओं) या मृतक के अगले रिश्तेदार को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त होगी यदि वह या तो

इस प्रकार वह कानूनी सहायता पैनल में नामांकित लोगों में से अपनी पसंद के किसी भी वकील को चुनती है और नियुक्त करती है।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987। [पैरा 40] [326-ए-एच; 327-ए-डी]

दंडात्मक उपाय

(i) जहाँ भी यह पाया जाता है कि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का अधिकारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। भीड़ हिंसा और लिंचिंग के किसी भी अपराध को रोकने और/या जांच करने और/या त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए, इसे जानबूझकर लापरवाही का कार्य माना जाना चाहिए और/या

दुराचार जिसके लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए उसे और सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं। विभागीय कार्रवाई को तार्किक रूप से लिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष। (ii) राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि यदि यह पाया जाता है कि ऐसे अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

घटना को रोकने के लिए, इसकी पूर्व जानकारी होने के बावजूद, या जहां घटना पहले ही हो चुकी है, ऐसे अधिकारियों ने तुरंत गिरफ्तारी नहीं की और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की।

दोषियों को। [पैरा 40] [327-ई-एच]

अरुमुगम सर्वई बनाम। तमिलनाडु राज्य (2011) 6

एससीसी 405 [2011] 5 एससीआर 488-संदर्भित।

1.12 जिन उपायों को करने का निर्देश दिया जाता है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। [पैरा 41] [328-ए]

1.13 यह स्वयंसिद्ध है कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कानून और व्यवस्था की मशीनरी कुशलता से काम करे और प्रभावी रूप से शांति बनाए रखने के लिए ताकि कानून के शासन द्वारा शासित लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोत्कृष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और बहुलवादी सामाजिक ताने-बाने को संरक्षित किया जा सके। अराजकता और अराजकता के समय में, राज्य को सकारात्मक और जिम्मेदारी से कार्य करना होगा

अपने नागरिकों से किए गए संवैधानिक वादों की रक्षा और सुरक्षा करना। भीड़तंत्र के भयानक कृत्यों को देश के कानून को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नागरिकों को आवर्ती पैटर्न [2018] 9 एस. सी. आर. से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

हिंसा जिसे "नया सामान्य" बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य अपने लोगों की बढ़ती गड़गड़ाहट को अनसुना नहीं कर सकता। स्थिति की आवश्यकताओं को समावेशी और सभी को मजबूत करने के लिए गंभीर कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान करने की आवश्यकता है।

सामाजिक व्यवस्था को अपनाना, संवैधानिक विश्वास की पुष्टि करना। कुछ भी अधिक और कुछ भी कम की उम्मीद नहीं है। [पैरा 42] [328-बी-डी]

1.14 विधायिका को सिफारिश करना उचित है,

संसद, लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध बनाने और उसके लिए पर्याप्त सजा प्रदान करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक विशेष कानून लोगों में कानून के प्रति भय की भावना पैदा करेगा

जो इस तरह की गतिविधियों में खुद को शामिल करते हैं। कानून का डर और कानून की कमान के प्रति सम्मान एक सभ्य समाज की नींव का गठन करता है। [पैरा 43] [328-ई-एफ]

प्रवासी भलाई संगठन बनाम। भारत संघ और

अन्य (2014) 11 एस. सी. सी. 477: [2014] 4 एससीआर 446 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 4 एससीआर 987

पै

रा 1

संदर्भित किया गया है

2018 (5) स्केल 51

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2011] 8 एससीआर 1028

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2014] 4 एससीआर 907

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

(2016) 9 एस. सी. सी. 682

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 204

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1991] 3 पूरक। एससीआर 121

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[1997] 2 एससीआर 1086

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[2004] 3 एससीआर 652

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[1977] 1 एससीआर 616

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1996] 10 पूरक। एससीआर 284

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

(1994) 4 एससीसी 260

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

(1993) 2 एस. सी. सी. 746

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[1995] 1 पूरक। एससीआर 44

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[2014] 8 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2014] 4 एससीआर 446

संदर्भित किया गया है

पैरा 33 तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सिविल)

2016 का सं. 754

के साथ

2016 की लिखित याचिका (सिविल) Nos.764 और 768

2017 की लिखित याचिका (सिविल) Nos.732

2017 की लिखित याचिका (आपराधिक) No.122। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

पी. एस. नरसिम्हा, ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., संजय आर. हेगड़े, सुश्री इंदिरा जयसिंह, कॉलिन गोंजाल्विस, सुश्री वी. मोहना, सिद्धार्थ लूथरा,

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनस तनवीर, फ़ुज़ैल अहमद अयूबी, प्रांजल किशोर, अब्दुल कादिर, शादान फरासत, सुश्री वारिशा फरासत,

सत्य मित्रा, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, राज बहादुर यादव, बी. वी. बलराम दास, वी. एन. रघुपति, परीक्षित पी. अंगड़ी, अनुभव टी. मिश्रा, सुश्री अर्चना पाठक दवे, संतोष कुमार, पंकज सिंघल, हिमांशु गुप्ता, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, रोहित के. सिंह, तपेश कुमार सिंह, मोहम्मद। वकास, आदित्य प्रताप सिंह, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री ममता सिंह, सुश्री विशाखा, सुबोध एस. पाटिल, सुश्री सुप्रिया पाटिल, अजय सिंह, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, राजीव कुमार दुबे, सुश्री वैद्य मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, रंजन मुखर्जी, एस. भौमिक, सुश्री के. एनाटोली सेमा, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह, के. लुइकांग माइकल, अतुल झा, संदीप झा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया एस., उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, चंचल कुमार गांगुली, भुपेश नरूला, के. वी. जगदीशवरन, सुश्री जी. इंदिरा, संग्राम सरोन, विक्रम बत्रा, श्री पाल सिंह, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, आयुष आनंद, पी. एस.

सुधीर, संतोष कुमार, भरत सूद, डेरिल मेनेजेस, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, अभिषेक, श्रीमती अनिल कटियार, आदर्श उपाध्याय, एम. योगेश कन्ना, सुश्री सुजाता बागड़ी, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, गोपाल सिंह, श्रेयस जैन, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, एस. मनूरौज, सी. के. सासी, सौरभ मिश्रा, अर्जुन गर्ग, अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, सुश्री अरुणा माथुर,

सुश्री अनुराधा अर्पुथम, मेसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, मृण्मय भट्टमेवाड़ा, रोहित पांडे, संजय कुमार त्यागी, सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, हर्ष हीरू गुर्जानी, अमित वर्मा, विशाल प्रसाद, सुश्री रुचिरा गुप्ता, संतोष रेबेलो, भास्कर छकारा, शुभदीप रॉय, सयोज मोहन दास, नमन कंबोज, ऋतुराज बिस्वास, संजीब

पाणिग्रही, सुश्री रश्मि सिंघानिया, अनिल ग्रोवर, सुश्री नूपुर सिंघल, सतीश कुमार, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

18] 9 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. लाभ के लिए अधिनियमित कानून

नागरिकों को अधिकार प्रदान करके और कई क्षेत्रों में सामाजिक व्यवहार को विनियमित करने के लिए समाज को कानून लागू करने वाले द्वारा लागू करने की आवश्यकता है।

एजेंसियों और नागरिकों का कर्तव्य है कि वे इसे पवित्र मानने वाले कानून का पालन करें। कानून को सभ्य समाज की नींव माना जाना चाहिए। कानून का प्राथमिक लक्षय एक व्यवस्थित समाज बनाना है जहां नागरिक परिवर्तन और प्रगति के सपने को साकार कर सके और व्यक्तिगत आकांक्षा को अपनी क्षमता की अभिव्यक्ति के लिए जगह मिल सके। ऐसे माहौल में जहां प्रत्येक नागरिक संवैधानिक और वैधानिक कानून के तहत दिए गए अधिकारों और हितों का आनंद लेने का हकदार है, वहीं वह कानून के आदेश का पालन करने के लिए भी बाध्य है। यह कृष्णमूर्ति बनाम में कहा गया है। शिवकुमार और अन्य 1, "कानून, एक सभ्य समाज में सबसे शक्तिशाली संप्रभु"। कानून की महानता को केवल इसलिए बदनाम नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई व्यक्ति या समूह यह रवैया पैदा करता है कि उन्हें कानून में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा इसके प्रवर्तन को अपने हाथों में लेने और धीरे-धीरे अपने लिए कानून बनने और उल्लंघनकर्ता को दंडित करने के लिए सशक्त किया गया है। वे भूल जाते हैं कि कानून का प्रशासन कानून लागू करने वाली एजेंसियों को दिया जाता है

और किसी को भी अपने "निर्णय की उथली भावना" की कल्पना पर कानून को अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं है। जिस तरह एक को अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार है, उसी तरह दूसरे को भी तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि वह निष्पक्ष सुनवाई के बाद दोषी नहीं पाया जाता। कानून के रक्षकों की आड़ में किसी भी प्रकार के समुदाय द्वारा किसी भी नागरिक के कार्य पर निर्णय नहीं लिया जाना है। यह कानून की मौलिक आवश्यकता है कि एक आरोपी पर कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए और बिना किसी बाधा के प्रक्रिया के अनुसार निपटा जाए ताकि ठोस न्याय किया जा सके। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता में या समूह के एक हिस्से के रूप में, जो कुछ ही समय के भीतर भीड़ का चरित्र ग्रहण करता है, कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकता है जो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हो।

दोषी हैं। यह न केवल हमारी कानूनी प्रणाली में स्थापित कानूनी सिद्धांतों के प्रतिमान के विपरीत है, बल्कि एक सभ्य समाज में भी अकल्पनीय है।

जो कानून के शासन के मौलिक सिद्धांतों का सम्मान करता है। और, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के विचार और अवधारणाएं न केवल देश की महानता में सेंध लगाती हैं। कानून लेकिन पूरी तरह से अप्रिय भी हैं।

2. यह ध्यान देने योग्य है कि सभी रिट याचिकाओं में मांगी गई राहतों में समानता है, हालांकि भाषा की अभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रार्थना की चौड़ाई थोड़ी अलग है। वास्तव में क्या निकलता है

1 (2015) 3 एस. सी. सी. 467 तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

गौरक्षकता और गोरक्षा की अन्य घटनाओं से संबंधित प्राथमिक शिकायतों से निपटने के लिए संवैधानिक ढांचे के तहत इस न्यायालय का कर्तव्य है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

लिंचिंग या, यदि हम ऐसा कहते हैं, तो लक्षित हिंसा और

कानून के स्व-कल्पित और स्व-नियुक्त रक्षकों की आड़ में भीड़ द्वारा मानव शरीर और निजी और सार्वजनिक संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध।

3. हम तथ्यों को संक्षेप में बताएँगे, क्योंकि लिंचिंग और भीड़ हिंसा की कई घटनाओं के संबंध में ऐसे आरोप हैं जो

उपाय। हम एक रिट याचिका में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय आर. हेगड़े द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान देंगे। हम आगे कह सकते हैं कि हम 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 754 में तथ्यों का उल्लेख करेंगे। 4. याचिकाकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ने प्रतिवादी को आदेश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

राज्य सं। 3 8. हिंसा में लिप्त गोरक्षा समूहों के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करना; और आगे एक रिट जारी करना। या उक्त समूहों द्वारा अपलोड और होस्ट की गई सोशल मीडिया से हिंसक सामग्री को हटाने का निर्देश। एक प्रार्थना भी है कि

गुजरात पशु रोकथाम अधिनियम, 1954 की धारा 12, महाराष्ट्र पशु रोकथाम अधिनियम, 1976 की धारा 13 और कर्नाटक गोहत्या और पशु संरक्षण रोकथाम की धारा 15 घोषित करें। अधिनियम, 1964 असंवैधानिक है। रिट याचिका में कुछ घटनाओं का भी वर्णन किया गया है।

5. जब 21 जुलाई, 2017 को इस मामले को अन्य मामलों के साथ लिया गया, तो न्यायालय ने तीसरे अनुरोध पर विचार नहीं करते हुए, यानी ऊपर उल्लिखित कानूनों के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए, इस प्रकार कहा:

" जहाँ तक पहली प्रार्थना का संबंध है, पूछे जाने पर, यह है

श्री रंजीत कुमार, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत भारत संघ की ओर से उपस्थित होते हुए कि विवाद राज्यों से संबंधित है, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि भारत संघ की गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है

चौकस लोग।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुजरात राज्य की विद्वान स्थायी वकील सुश्री हेमंतिका वाही ने उपरोक्त निवेदन को दोहराते हुए तर्क दिया कि कुछ व्यक्ति जो इस तरह की गतिविधि में शामिल थे, विशेष रूप से जिस घटना का उल्लेख रिट याचिका में किया गया है, उन पर प्रासंगिक अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ उचित पुलिस कार्रवाई की गई है। झारखंड राज्य के विद्वान वकील श्री तपेश कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया कि उचित कानूनी कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है।

इस मोड़ पर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री संजय आर. हेगड़े द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ और राज्य सरकारों को अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने चाहिए। श्री रंजीत कुमार, विद्वान सॉलिसिटर जनरल और राज्यों की ओर से पेश अन्य विद्वान वकील ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जवाबी हलफनामे में रिट याचिकाओं में संदर्भित घटनाओं, यदि कोई हों, का भी उल्लेख किया जाएगा। जहाँ तक प्रार्थना संख्या 2 का संबंध है, श्री रंजीत कुमार ने यह जानकारी दी

सॉलिसिटर जनरल और उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील

विभिन्न राज्य न्यायालय की सहायता करेंगे कि किस प्रकार की गतिविधियाँ

सतर्क लोगों को पूरी तरह से कम किया जा सकता है और तरीके सुझाए जा सकते हैं और

एक ही काम करने के तरीके "।

6. यह ध्यान दिया जाए कि जब 6 सितंबर, 2017 को 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 732 मुख्य रिट याचिका, यानी रिट याचिका (सिविल) संख्या 754 16 के साथ थी, तो अदालत ने नोटिस जारी करते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा पिछले पर दिए गए कथन का उल्लेख किया।सायन और, इसके बाद, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री इंदिरा जी और संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार ए द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को नोट किया। हम समझते हैं कि उक्त आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उचित है क्योंकि इसमें शामिल है -

एन अंतरिम निर्देश:

" उसी का उल्लेख करने के बाद, उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि राज्यों की कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे घटना होने के बाद न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) दर्ज करें, बल्कि यह भी देखें कि समूह या एक वर्ग

लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेते और इसमें शामिल नहीं होते हैं।

सतर्कता। इसके अतिरिक्त, यह उनका निवेदन है कि अनुच्छेद के तहत
के अनुसार, यह केंद्रीय तहसीन एस. पूनावाला बनाम का दायित्व है।

भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

सरकार राज्यों को निर्देश जारी करेगी ताकि अवधारणा

सहकारी संघवाद कायम है और स्थिर बना हुआ है।

श्री तुषार मेहता, भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, इस संबंध में निर्देश लेंगे

भारत संघ की भूमिका।

जब हम एक विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित करने जा रहे हैं, श्री तुषार मेहता, राज्यों की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने प्रस्तुत किया कि ये

राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित करेंगे

काफी शीघ्रता के साथ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह ने राजमार्गों पर गश्त लगाने के संबंध में एक मुद्दा उठाया है ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की ओर से श्री तुषार मेहता इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे और यह भी बताएँगे कि उक्त चार राज्यों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक राजमार्ग गश्त की बात है

संबंधित, प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से सुनवाई की अगली तारीख तक कदम उठाएगा और हलफनामा दायर करेगा। जहाँ तक अन्य राज्यों का संबंध है, यह निर्देश दिया जाता है कि उनमें से प्रत्येक प्रत्येक जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगा, जो यह देखेगा कि ये सतर्क व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न लें और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

बहुत जल्दी। आदेश की एक प्रति सभी के मुख्य सचिव को भेजी जाए।

राज्यों "।

7. 22 सितंबर, 2017 को जब यह मामला सूचीबद्ध किया गया था, तो यह 1 था कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात राज्य।

राजस्थान ने बिहार राज्य की ओर से अनुपालन शपथ पत्र और एक वचन पत्र दाखिल किया था।

दिन के दौरान लेंस।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. हमारे आदेश के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश राज्य ने दायर किया है

सचिव द्वारा भेजे गए एक पत्र को संलग्न करते हुए शपथ पत्र,उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/सभी पुलिस अधीक्षकों को गृह (पुलिस) की नियुक्ति। हम सोचते हैं।

उक्त अनुच्छेद के प्रासंगिक अनुच्छेदों को संदर्भित करने का अधिकार

एकीकरण:

" मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, सतर्कता की आपराधिक गतिविधियों पर एक प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक जिले के नामित नोडल अधिकारी इस दिशा में प्रभावी और त्वरित उपाय करेंगे।

ऐसे सतर्कता कर्मियों की आपराधिक गतिविधियाँ। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों को खुद को शामिल करने की अनुमति न हो

यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी विजिलेंट कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में न ले और आपराधिक अधिनियम का उल्लंघन न करे। शीघ्र पूछताछ की जाए ऐसे असामाजिक तत्वों की गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के माध्यम से

नामित नोडल अधिकारी अपने जिलों में उपस्थित हुए। यदि ऐसी कोई घटना स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आती है या गश्त के दौरान 100 डायल करती है, तो उसे तुरंत नोडल अधिकारी के नोटिस में लाया जा सकता है। इसके बाद ऐसे नामित नोडल अधिकारियों द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जा सकती है।

5. इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रिया नियमित रूप से

समय-समय पर अपनाया गया, समीक्षा की गई और निगरानी की गई और यदि कोई विवरण है तो उसे पुलिस महानिदेशक यू. पी. लखनऊ को भेजा जाएगा, जो पुलिस मुख्यालय में तैनात अधिकारियों में से एक नोडल अधिकारी को भी नामित करेगा। प्रत्येक मासिक बैठक में इस मामले की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और

स्थिति की समीक्षा करने के बाद आवश्यक विवरण प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाए। तहसीन एस. पूनावाला बनाम।

भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

9. गुजरात राज्य के पुलिस महानिरीक्षक सह पुलिस महानिरीक्षक, गुजरात राज्य और पुलिस महानिरीक्षक, राज्य यातायात शाखा द्वारा पारित दिनांक 07.09.2017 और 11.09.2017 के गुजरात राज्य की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है। पहला आदेश

इस प्रकार:

पशुओं के साथ-साथ अन्य नागरिकों के लिए संरक्षण या करुणा गाय संरक्षण, गाय की संतान की सुरक्षा या जानवरों के प्रति करुणा के नाम पर जानवरों का परिवहन करने या जानवरों/मांस का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लक्षित हिंसा या अन्य अवैध कार्यों का सहारा लेने के लिए कानून को अपने हाथों में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है

प्रत्येक जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने का आदेश। नोडल अधिकारी ऐसा होना चाहिए

प्रभावी व्यवस्था करने के लिए नामित किए जाने की आवश्यकता होगी उसका अधिकार क्षेत्र, विशेष रूप से राजमार्गों पर, गो संरक्षण या जानवरों के प्रति करुणा के नाम पर अवैध कृत्यों और हिंसा को रोकने के लिए। यदि सभी सावधानियां बरतने के बाद भी कुछ घटनाएं होती हैं, तो नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि घटना में शामिल सतर्क लोगों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित अधिकारी

पुलिस में नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किए जाते हैं

गुजरात राज्य में आयुक्तालय और पुलिस जिले।

क्षेत्र

नोडल अधिकारी

पुलिस

चिंतित हैं।

कमिश्नर

आयुक्तालय

से

पुलिस

पुलिस जिला

के अधीक्षक

पुलिस

अधिकारिता

चिंतित हैं।

से

पश्चिमी रेलवे,

के अधीक्षक

अहमदाबाद/वाडो ड्रा

पुलिस,

पश्चिमी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. विचाराधीन अवैध गतिविधियों के संबंध में दर्ज होने वाले सभी अपराधों में प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस महानिदेशक, सी. आई. डी. (अपराध और रेलवे), गुजरात राज्य, गांधीनगर ऐसे सभी मामलों की तिमाही समीक्षा करेंगे।

10. ई, राज्य यातायात शाखा के महानिरीक्षक द्वारा महानिदेशक के कार्यालय से ई पुलिस आयुक्तों, रेंज प्रमुखों और पश्चिमी रेलवे, अहमदाबाद का समर्थन करने वाले पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र भेजा गया है। उक्त प्रतिरूपण का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" जबकि ऐसी घटनाएं कुछ विशिष्ट स्थानों पर होती हैं,

विशिष्ट सड़कें और विशेष क्षेत्र, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे स्थान राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कों की पहचान की जाए और उनका मानचित्रण किया जाए। इसके अलावा, जैसा कि ज्ञात है, हिंसा का एक विशिष्ट स्वरूप है।

घटनाएँ हो रही हैं और ऐसे श्रमिकों के विशेष समय, विशेष स्थानों पर अपने शिविर हैं और वे कुछ विशिष्ट स्थानों पर वाहनों को रोकते हैं। इसलिए, ऐसे समय और स्थानों की पहचान आपके अधिकार क्षेत्र के भीतर की जानी चाहिए और गायों के परिवहन में शामिल व्यक्तियों द्वारा पालन किए जा रहे विशिष्ट तौर-तरीकों का भी आगे अध्ययन किया जाना चाहिए और सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को ऐसा करना चाहिए।

ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों, समय, वाहनों और वाहनों में पैकिंग के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें उन पर निगरानी रखने का निर्देश दिया जाए।

3. क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद, गुप्त निगरानी तैनात की जाए

इस प्रकार पहचाने गए संवेदनशील स्थान (भेद्यता मानचित्रण) और

गौवंश के परिवहनकर्ताओं की कार्यप्रणाली और गौ रक्षकों की प्रथाओं पर विचार करना। इसके अलावा, के लिए व्यवस्थाएँ

गहन गश्त की जाए और इस तरह से ऐसा होने से रोका जाए

हिंसक घटनाएँ। 4. हिंसक हमलों की संवेदनशीलता और गंभीरता पर विचार करना

पशुओं/मांस के परिवहन में लगे व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी तथाकथित कर्मचारी या संगठन ऐसे मामलों में पुलिस के कामकाज में हस्तक्षेप न करे, ताकि कोई भी निजी व्यक्ति कानून अपने हाथों में न ले और इसके प्रसार की व्यवस्था न करे।

घटना को रोकने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों में जागरूकता

ऐसी घटनाओं से।

तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस विभाग द्वारा गायों और जानवरों से संबंधित सभी कानूनों का पालन किया जाए। जानवरों/मांस के परिवहन की वैधता या अन्यथा सत्यापन केवल पुलिस विभाग का अधिकार है। हालांकि, पुलिस के अलावा अन्य व्यक्तियों या संगठनों द्वारा इसमें हस्तक्षेप के कारण संघर्ष की स्थिति और कानून और व्यवस्था के मुद्दे, हिंसक घटनाओं की घटना होती है, इसलिए सभी संभव प्रयास किए जा सकते हैं।

उसी को रोकें और जब भी ऐसी कोई घटना होती है, तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए और आगे की देरी के भीतर शामिल सभी अभियुक्तों का पता लगाकर प्रभावी कार्रवाई की जाए।

यह ध्यान देने योग्य है कि नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा दायर किए गए हलफनामे हैं जो बताते हैं कि अनुपालन कैसे हुआ है निष्पादित किया गया।

11. श्री संजय आर. हेगड़े, 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 754 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, जबकि

रिट याचिका में किए गए दावों की पुष्टि करते हुए, प्रस्तुत किया गया कि कोई भी व्यक्ति या सतर्कता समूह स्वयं को इसमें शामिल नहीं कर सकता है

लिंचिंग की गतिविधि केवल इस धारणा के आधार पर कि कोई अपराध किया गया है। इसके अलावा, श्री हेगड़े, कानून की सर्वोच्चता प्रस्तुत करते हैं इसे मान्यता दी जानी चाहिए और यदि कोई कानून किसी अपराध के लिए सजा निर्धारित करता है, तो उसके पास ऐसा करने के लिए कानून के तहत तंत्र प्रदान किया गया है। प्रक्रियात्मक और पर्याप्त सुरक्षा उपायों का पालन करने की आवश्यकता है। श्री हेगड़े ने अपने आदेश पर पूरा जोर देते हुए आग्रह किया है कि लिंचिंग या किसी भी तरह की भीड़ हिंसा पर कार्यपालिका को अंकुश लगाना चाहिए और किसी भी बहाने को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रोकथाम, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों पर जोर दिया जाता है। इस संबंध में, उन्होंने शक्ति वाहिनी बनाम में दिए गए हाल के एक निर्णय पर भरोसा किया है। भारत संघ और

अन्य 2. 12. इस समय हम याचिकाकर्ता की वरिष्ठ वकील सुश्री इंदिरा जयसिंह द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत की गई दलीलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं।

2017 की याचिका (सिविल) संख्या 732। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून एक आदमी को उससे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन यह आदमी को उसकी पीट-पीटकर हत्या करने से रोक सकता है। वह प्रस्तुत करती हैं कि हाल के वर्षों में घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित नागरिक हैं

लक्षित हिंसा के शिकार हो गए हैं जो मुख्य रूप से उत्पन्न होती है

2 2018 (5) स्केल 51 [2018] 9 एससीआर

उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया जाए। 13. उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि हाल के दिनों में, स्व-घोषित और स्व-शैली के सतर्क लोगों ने बेशर्मी से कानून को अपने में ले लिया है और

कुछ समुदायों और निचले स्तर के लक्षित नागरिक समाज जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और यह संघ और राज्यों का दायित्व है कि वे ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून में आवश्यक तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने आगे कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली राज्यों में ज्यादातर सतर्कता समूहों द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने की कई घटनाएं हुई हैं। यह उनका कड़ा रुख है कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों द्वारा संपर्क किए जाने पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है।

14. उन्होंने प्रचार किया है कि यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अल्पसंख्यकों के सदस्य

भीड़ हिंसा और सतर्कता समूहों द्वारा लक्षित नहीं हैं और यदि इन लिंचरों की अवैध कार्रवाइयों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो पूरी तरह से अराजकता होगी जहां कोई भी निजी व्यक्ति अपने निर्णय के अनुसार आपराधिक कानून के प्रवर्तन के लिए कानून को अपने हाथों में ले सकता है।

15. शुरुआत में, प्रतिद्वंद्वी में तल्लीन करते हुए

बार में प्रस्तुतियाँ, यह समझना आवश्यक है कि वर्तमान प्रकृति के विवाद को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। हमने अंतरिम रूप से कुछ निर्देश जारी किए थे

उपाय और कुछ अनुपालन किया गया है लेकिन हमारी राय है कि जो परिस्थितियाँ सामने आई हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुख्य समूह कानून को अपने हाथों में न ले। प्रत्येक नागरिक को कानून के उल्लंघन के बारे में पुलिस को सूचित करने का अधिकार है। जैसा कि पहले कहा गया है, किसी अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया आरोपी संवैधानिक और वैधानिक योजना के तहत निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का हकदार है और उसके बाद, उसे न्यायपालिका द्वारा लाए गए साक्षय के आधार पर न्यायपालिका द्वारा निर्णय के अनुसार दोषी ठहराया जा सकता है या बरी किया जा सकता है।

अभिलेख पर और कानूनी सिद्धांतों का अनुप्रयोग। सड़कों पर किसी भी तरह की जांच, मुकदमा और सजा नहीं हो सकती। न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के पवित्र परिसरों के भीतर होती है न्याय की अदालतें और सड़कों पर नहीं। किसी को भी यह दावा करते हुए कानून का संरक्षक बनने का अधिकार नहीं है कि उसे किसी भी तरह से कानून की रक्षा करनी है। यह राज्यों का कर्तव्य है, जैसा कि नंदिनी सुंदर और अन्य बनाम में कहा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य 3, सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए लगातार और निरंतर प्रयास करना ताकि प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा, पोषण और संवर्धन किया जा सके। इसके अलावा, यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अप्रिय घटनाओं को रोकें और अपराध को रोकें।

16. मोहम्मद में। हारून और अन्य बनाम। भारत संघ और

दूसरा, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि राज्य के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य और केंद्र दोनों की खुफिया एजेंसियों के सहयोग से राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार किसी अधिकारी को लापरवाही करते हुए पाया जाता है, तो उसे कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, आर्कबिशप राफेल चिनाथ एस. वी. डी. बनाम में प्राधिकरण का संदर्भ। उड़ीसा और अन्य राज्य उपयोगी होंगे। उक्त मामले में, सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की सांप्रदायिक अशांति के कारणों की जांच करनी चाहिए और समाज के ताने-बाने को मजबूत करना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि पुलिस को मजबूत करना

जिले में बुनियादी ढांचा निस्संदेह किसी भी स्थिति पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।

इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा की पुनरावृत्ति। साथ-साथ शांति-निर्माण के उपायों पर भी जोर दिया गया।

17. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जिन अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है

राज्यों का यह देखना प्रमुख दायित्व है कि सतर्कता, चाहे वह गोरक्षा हो या किसी भी धारणा की कोई अन्य सतर्कता, न हो। जब किसी प्रकार के विचार वाला कोई भी मुख्य समूह कानून को अपने हाथों में लेता है, तो यह अराजकता, अराजकता, अव्यवस्था की शुरुआत करता है और अंततः एक हिंसक समाज का उदय होता है। सतर्कता को, कल्पना के किसी भी विस्तार से, आकार लेने के लिए जगह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह बिल्कुल एक विकृत धारणा है। हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि हस्तक्षेप के लिए कुछ आवेदन और लिखित टिप्पणियाँ इस संबंध में उसी का समर्थन करते हुए दायर की गई हैं

(2011) 7 एस. सी. सी. 547

4 (2014) 5 एस. सी. सी. 252

5 (2016) 9 एससीसी 682 [2018] 9 एस. सी. आर.

इस आधार पर कि मवेशियों की तस्करी और जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार हो रहा है। इस संदर्भ में, यह कहना पर्याप्त है कि यह कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं जिन्हें सर्वेक्षण, रोकथाम और मुकदमा चलाना है। किसी को भी उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने और यह भावना रखने का अधिकार नहीं है कि वह स्वयं कानून और दंडक है। एक ऐसा देश जहाँ कानून का शासन प्रचलित नहीं है

18. लिंचिंग कानून के शासन और संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है। हम बिना किसी डर के कह सकते हैं यह विरोधाभास कि अनियंत्रित भीड़ द्वारा लिंचिंग और उकसावे और उकसावे से उत्पन्न बर्बर हिंसा को दिन का नियम बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तरह की सतर्कता, चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए हो या किसी भी कारण से उत्पन्न हो, कानूनी और कानूनी व्यवस्था को कमजोर करने का प्रभाव डालती है।

राज्य की औपचारिक संस्थाएं और संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन। कानून के संरक्षण की आड़ में इन गैर-न्यायिक प्रयासों को

इसे जड़ से खत्म कर दिया गया; ऐसा न हो कि यह अराजकता और अराजकता के उदय की ओर ले जाए जो राष्ट्र को एक महामारी की तरह परेशान और नष्ट कर देगा। सतर्कता के उथल-पुथल भरे काले बादलों का प्रभाव लोकतंत्र और न्याय के गौरवशाली तरीकों को कुचलने का है जिससे कानून का दुखद विघटन होता है और सभी प्रकार की सभ्यता और मानवता का उल्लंघन होता है। जब तक इन घटनाओं को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक वह दिन दूर नहीं जब आत्म-घोषित नैतिकता के नाम पर इस तरह की राक्षसी भावना एक बड़ी तबाही का रूप ले सकती है। यह कानून के शासन की सर्वोत्कृष्ट भावना और सहिष्णुता और मानवता के उच्च विश्वासों का सीधा उल्लंघन है। 19. भीड़ सतर्कता और भीड़ हिंसा को सरकारों द्वारा सख्त कार्रवाई करके और सतर्कता समाज द्वारा रोका जाना चाहिए जो

कानून को अपने हाथों में लेने के बजाय ऐसी घटनाओं की सूचना राज्य तंत्र और पुलिस को देनी चाहिए। बढ़ती असहिष्णुता और बढ़ता ध्रुवीकरण भीड़ की हिंसा की घटनाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया देश में सामान्य जीवन शैली या कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो जटिल रूप से इससे जुड़ा हुआ है

हमारी सामाजिक संरचना के मज्जा का संरक्षण। ऐसी स्थिति में, राज्य का एक पवित्र कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को अनियंत्रित तत्वों और सुनियोजित लिंचिंग और सतर्कता के अपराधियों से अत्यंत ईमानदारी और सच्ची प्रतिबद्धता के साथ ऐसी घटनाओं से निपटने और उन पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित रखे जो उसके कार्यों और योजनाओं में प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

20. असहिष्णुता, वैचारिक प्रभुत्व और पूर्वाग्रह के उत्पाद के रूप में घृणा अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए; ऐसा न हो कि इसके परिणामस्वरूप आतंक का शासन हो। अतिरिक्त न्यायिक तत्वों और गैर-राज्य कर्ताओं को कानून या कानून लागू करने वाली एजेंसी का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बहुलता और विविधता की स्वीकृति के बिना कट्टर दृष्टिकोण के साथ एक मनगढ़ंत पहचान के परिणामस्वरूप उत्तेजक भावनाएँ और प्रतिक्रियावादी प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन होता है जो खुद को मनुष्यों के अमानवीकरण में बदल देता है। ऐसा वातावरण वह है जिसमें तर्कसंगत बहस, तार्किक चर्चा और कानून का ठोस प्रशासन नहीं होता है जिससे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित विभिन्न स्वतंत्रताओं के लिए स्पष्ट खतरा प्रकट होता है। एक व्यक्ति के विचार, कार्य, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, विवेक और व्यक्तिगत विकल्पों की स्वतंत्रता को दूसरे द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और यह कार्यों और स्थितियों के वस्तुनिष्ठ तर्कसंगतकरण की कमी के कारण है। इस संबंध में यह उचित रूप से कहा गया है:

" अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र सरकार का एक प्रमुख स्तंभ है।

जब यह समर्थन छीन लिया जाता है, तो एक स्वतंत्र समाज का संविधान

इसे भंग कर दिया जाता है और इसके खंडहरों पर अत्याचार खड़ा कर दिया जाता है।

21. विभिन्न रूपों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी अधिकारों के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए बहुत ही बीज है।

लोकतांत्रिक विचारों का विकास करना। आवाजों की बहुलता एक उदार लोकतंत्र के संवैधानिक विचार का जश्न मनाती है और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए। यही हमारे राष्ट्र का विचार और सार है जिसे रवींद्रनाथ टैगोर से जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग या धर्म की "संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में विभाजित" नहीं किया जा सकता है। बहुलवाद और सहिष्णुता आवश्यक गुण हैं और वास्तव में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण खंडों का गठन करते हैं। यह दृढ़ता से कहा जाना चाहिए कि एक गतिशील समकालीन संवैधानिक लोकतंत्र विचार और दृष्टिकोण में बहुलवाद को समायोजित करने की आवश्यक विशेषता को आत्मसात करता है।

ताकि सामंजस्य और एकता बनी रहे। हठधर्मी मानसिकता से उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता उथल-पुथल के बीज बोती है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक भयावह प्रभाव डालती है। इसलिए, सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने दिया जाना चाहिए।

22. एस. रंगराजन बनाम। पी. जगजीवन राम और अन्य ',

के. जगन्नाथ शेट्टी, जे. ने, हालांकि एक अलग संदर्भ में, हैंडिसाइड बनाम में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। संयुक्त

6 बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस, पेनसिल्वेनिया से

राजपत्र, नवंबर, 1737

7 (1989) 2 एससीसी 574 [2018] 9 एस. सी. आर.

राज्य 3 जिसमें इसे मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 10 के संदर्भ में इस प्रकार आयोजित किया गया है:

" न्यायालय के पर्यवेक्षी कार्य इसे 'लोकतांत्रिक समाज' की विशेषता वाले सिद्धांतों पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए बाध्य करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसे समाज की आवश्यक नींव में से एक है, जो इसकी प्रगति के लिए बुनियादी शर्तों में से एक है और

प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए। अनुच्छेद 10 (2) के अधीन, यह न केवल उन 'सूचनाओं' या 'विचारों' पर लागू होता है जिन्हें अनुकूल रूप से प्राप्त किया जाता है या जिन्हें अपमानजनक या उदासीनता का विषय माना जाता है, बल्कि उन लोगों पर भी लागू होता है जो राज्य या आबादी के किसी भी क्षेत्र को आहत, स्तब्ध या परेशान करते हैं। ऐसी हैं उस बहुलवाद की मांगें,

सहिष्णुता और व्यापक मानसिकता जिसके बिना कोई नहीं है

' लोकतांत्रिक समाज "।

23. संवैधानिक वैधता के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण में, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोपरि माना जाता है और इसलिए, लोकतांत्रिक सरकारों को स्वतंत्रता के लिए मजबूत पैर जमाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि लोकतंत्र के उच्च मूल्यों को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके जिससे एक सहज संवैधानिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सके। अपराध कोई धर्म नहीं जानता और न तो अपराधी और न ही पीड़ित को नस्ल, जाति, वर्ग या धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है। सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का सकारात्मक दायित्व राज्य का है

जाति, वर्ग या धर्म की परवाह किए बिना। राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दे ताकि विचारों और मान्यताओं के स्वतंत्र खेल और परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के सह-अस्तित्व की अनुमति दी जा सके। स्वतंत्र आवाजों को दबाना कभी अच्छा नहीं हो सकता

एक सच्चे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ऐसे समाजों का निर्माण करना आवश्यक है जो सभी क्षेत्रों में विविधता को अपनाएं और राज्य में नागरिकों के विश्वास का पुनर्निर्माण करें। मशीनरी।

24. लिंचिंग और भीड़ की हिंसा रेंगने वाले खतरे हैं जो धीरे-धीरे एक टाइफन जैसे राक्षस का रूप ले सकते हैं, जैसा कि असहिष्णुता और झूठी खबरों और झूठी कहानियों के प्रसार द्वारा गलत जानकारी के कारण देश भर में उन्मादी भीड़ द्वारा बार-बार होने वाली घटनाओं की बढ़ती लहर के मद्देनजर देखा जा सकता है। बदकिस्मती से बढ़ती भीड़ की हिंसा और दर्दनाक आतंक की एक सूची सामने आई है जो एक गंभीर और वीभत्स तस्वीर पेश करती है जो हमें यह प्रतिबिंबित करने के लिए मजबूर करती है कि क्या हमारे जैसे महान गणराज्य की जनता ने सहिष्णुता के मूल्यों को खो दिया है।

विविध संस्कृति। इसके अलावा, दर्शकों की उदासीनता, मूक की सुन्नता 81976 ईएचआरआर 737, पृ.

अपराध स्थल के दर्शक, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कानून लागू करने वाले तंत्र की निष्क्रियता और सोशल मीडिया सहित अपराधों के अपराधियों द्वारा घटना की भव्यता पूरी समस्या को बढ़ा देती है। किसी को भी लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि अस्वस्थ असहिष्णुता का रवैया बिल्कुल सही है।

असहनीय और दर्दनाक रूप से दर्दनाक।

25. एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंचिंग इतनी व्यापक थी कि मार्क ट्वेन ने अपनी अनूठी शैली में देखा था कि यह

"यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लिंचरडम" बन गया। व्यंग्य स्पष्ट है। 26. प्राप्त करने की स्थिति में, हमारे देश के साथी नागरिकों के बीच एकता को बनाए रखने और बनाए रखने की आवश्यकता है, जो अलग-अलग प्रतिनिधित्व करते हैं।

जाति, पंथ और नस्ल, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और कई धर्मों का उपयोग करते हैं।

भाषाओं पर चर्चा की जानी चाहिए और उन पर जोर दिया जाना चाहिए। यह कहना आवश्यक है कि हमारे देश को एकजुटता और सद्भाव की भावना को बनाए रखना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए और उसका जश्न मनाना चाहिए ताकि सामूहिक चरित्र में एकता की भावना स्थापित हो सके। इस तरह के सामंजस्य और समझ के बिना, हम अनजाने में आपदा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

एक साथ। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खेम ने कहा है कि जब एकता विषमता और विविधता पर आधारित होती है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से जैविक एकजुटता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दुर्खेम का दृष्टिकोण भारतीय समाज के संदर्भ में स्वीकार्य होगा क्योंकि यह पूरी तरह से जैविक सामाजिक एकजुटता को प्रदर्शित करता है। 29. काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के श्री आदि विशेश्वर मामले में न्यायालय और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1 0 0। है।

9 9 (1992) 1 एस. सी. सी. 558

10 (1997) 4 एससीसी 606 [2018] 9 एस. सी. आर.

इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक सहिष्णुता 'विविधता में एकता' का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस प्रकार मनाया जाता है:

" अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति और लोकाचार है। सहिष्णुता सभी धार्मिक आस्थाओं में से एक-दूसरे के धर्म का सम्मान हमारा है।

नैतिकता। ये एकीकरण का मार्ग और नींव तैयार करते हैं और

राष्ट्रीय एकता और एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना; धार्मिक आस्था और विश्वास। इस प्रकार भारत का एकीकरण इसकी कमान है।

[जोर दिया गया]

30. कर्नाटक राज्य में और एक अन्य वी। डॉ. प्रवीण भाई

थोगाडिया 1 1, 'विविधता में एकता' पर जोर दिया गया है और इसे जीवन के आदर्श तरीके के रूप में माना गया है क्योंकि हमारा राष्ट्र विविध संस्कृतियों, धर्मों और जातियों से आने वाले लोगों का एकीकरण है। न्यायालय ने आगे कहा कि हमारे देश में दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण समाज है जिसकी एक समृद्ध विरासत है जहां संविधान उच्च स्तर के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के विचार और राष्ट्र की प्रगति के मार्ग पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं, यदि कोई हों, ज्यादातर मानवीय दृष्टिकोण और मतभेदों के सामंजस्यपूर्ण सुलह के आधार पर हल की जाती हैं। एकीकृत सामाजिक ताने-बाने को संरक्षित करने की आवश्यकता के संबंध में उपरोक्त मामले में न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियां भी महत्वपूर्ण हैं:

" इसलिए यह अनिवार्य है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह,

उनकी क्रिया या कर्कश और भड़काऊ भाषण पर झुके हुए हैं

वैमनस्य पैदा करने और संतुलन को बिगाड़ने की संभावना, त्याग सार्वजनिक शांति और शांति, मजबूत कार्रवाई, और अधिक निवारक

कार्रवाई अनिवार्य रूप से और महत्वपूर्ण रूप से करने की आवश्यकता है। कोई भी भाषण

या ऐसी कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक सद्भाव का बहिष्कार होगा उन सभी उच्च मूल्यों को नष्ट कर देगा जिनका संविधान का उद्देश्य है

में। लोगों का कल्याण सभी कानूनों और राज्य का अंतिम लक्षय है।

कार्रवाई और सबसे बढ़कर संविधान। उनके पास एक आम है उद्देश्य, जो कि कल्याण और बड़े हित को बढ़ावा देना है

किसी व्यक्ति या विशेष समूह का नहीं बल्कि समग्र रूप से समाज

किसी भी ब्रांड का नाम। यह अकल्पनीय है कि वहाँ हो सकता है साम्प्रदायिक सद्भाव के बिना सामाजिक कल्याण, एक दूसरे के लिए प्रेम

और किसी के लिए नफरत नहीं।

[जोर दिया गया]

11 (2004) 4 एस. सी. सी. 684 तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

31. विविधता में एकता को भारत के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में पहचाना जाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के हथियारों को बांधता है।

मानवता के पवित्र धागे में लोग। यह विविधता हमारे राष्ट्र की ताकत है और इस ताकत को महसूस करने के लिए, यह अनिवार्य है कि हम इसे बनाए रखें और विभाजनकारी प्रवृत्तियों को छोड़ दें। यह याद रखना होगा कि 'विविधता में एकता' की अनूठी विशेषता नागरिकों में दूसरों की राय और पसंद का सम्मान करने का गुण पैदा करती है। इस तरह का सम्मान बहुलता की स्वीकृति की भावना को आत्मसात करता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर और भाईचारे और सौहार्द की भावना को प्रेरित करके सहिष्णुता के विचार को बढ़ाता है।

32. इस संदर्भ में, उत्तर प्रदेश राज्य में टिप्पणियाँ v. ललाई सिंह यादव 1 2 उपयुक्त हैं:

" भारत में राज्य धर्मनिरपेक्ष है और हमारे बहुलवादी समाज में प्रचलित किसी एक या दूसरे धर्म का पक्ष नहीं लेता है। इसका लोगों के धर्मों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि यह न केवल शांति के उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के खिलाफ समाज को संरक्षित करने और संरक्षित करने के लिए बल्कि ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए भी गहराई से बाध्य है जहां विविध या विरोधी मान्यताओं और कट्टरता के लोगों की भावनाओं और भावनाओं को अश्लील लेखन या अपराध प्रकाशनों द्वारा इतना छेड़छाड़ नहीं किया जाता है कि संभावित हिंसक कार्रवाई में समूहों को उकसाया या अपमानित किया जा सके। असल में अच्छी सरकार के लिए शांति की आवश्यकता होती है

और सुरक्षा "।

इस प्रकार, हमारे राष्ट्र के जीवित रहने के लिए, बिना कुचले हुए, यह एक आवश्यक पूर्व शर्त है कि सभी को इस भावना को अपनाना चाहिए कि वे

विविधता के आवश्यक घटक हैं जो एकता के संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं और एकता में बहुलवादी धारणाओं का सम्मान करते हैं

संवैधानिक नैतिकता।

33. बहुलवादी समाज में सहिष्णुता की आवश्यकता के बारे में कहने के बाद, हम लाभ के साथ यह उल्लेख कर सकते हैं कि न्यायालय डी. के. बसु बनाम. पश्चिमी राज्य

बंगाल 1 3, जोगिंदर कुमार बनाम में अधिकारियों का उल्लेख करने के बाद। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1 4, नीलाबती बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य 1 5 और एम. पी. राज्य v. श्यामसुंदर त्रिवेदी और अन्य लोगों ने गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में पालन करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए। में।

12 (1976) 4 एससीसी213 13 (1997) 1 एस. सी. सी. 416

1 4 (1994) 4 एस. सी. सी 260

15 (1993) 2 एस. सी. सी. 746

16 (1995) 4 एससीसी 262 [2018] 9 एस. सी. आर.

अर्नेश कुमार बनाम। बिहार राज्य और अन्य 1 7, इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए का उल्लेख किया और इस प्रकार निर्णय दिया:

" 7.3 . गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, गिरफ्तारी क्यों? क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? यह किस उद्देश्य को प्राप्त करेगा? इसके बाद ही

प्रश्नों को संबोधित किया जाता है और एक या अन्य शर्तों के रूप में

ऊपर उल्लिखित संतुष्ट है, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जुर्माने में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास जानकारी और सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को आगे यह संतुष्ट करना होगा कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) द्वारा परिकल्पित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

34. उक्त अधिकारियों को संदर्भित करने का उद्देश्य यह है कि कानून

अभियुक्त पक्षों द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदनों में वैधानिक कानून के प्रावधानों के कुछ उल्लंघनों को व्यक्त करने का इरादा है, लेकिन सजा का प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी कानून के रक्षक के रूप में व्यवहार करने और उसके अनुसार सजा देने के लिए अधिकृत नहीं करता है। उसकी पसंद और कल्पना। यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका और कर्तव्य है जो कानून को पता है। किसी और को उस भूमिका को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि इस क्षेत्र में स्वयंभू रक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। उनका एकमात्र अधिकार कानून लागू करने वाली एजेंसी को अपराध, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कर्तव्य है

17 (2014) 8 एस. सी. सी. 273 तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

और अभियोजक अभियुक्त व्यक्तियों को कानून के सामने लाने के लिए

न्यायनिर्णायक अधिकारी, जो अपने जन्मजात प्रशिक्षण और न्याय की भावना के साथ, अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अध्ययन करते हैं, कानून के प्रावधानों का पालन करते हैं और फैसला सुनाएँ। चीजों की योजना में, बाहरी ताकतें रक्षकों की भूमिका नहीं निभा सकती हैं और एक बार जब वे उक्त मार्ग प्रशस्त करती हैं, तो वे खुद को अपराध के साथ जोड़ती हैं और खुद को इस श्रेणी में लाती हैं

अपराधियों का। उनके लिए यह याद रखना अनिवार्य है कि वे कानून के अधीन हैं और धारणाओं या भावनाओं या भावनाओं या उस मामले में विश्वास से निर्देशित नहीं हो सकते हैं। 35. इस संदर्भ में, हम शक्ति वाहिनी (उपरोक्त) से एक अंश को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका, हालांकि एक अलग संदर्भ में उच्चारण किया जाता है, लेकिन इसका कुछ महत्व है:

" 'खाप पंचायतों' या ऐसी विधानसभा को कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और आगे कानून लागू करने वाली एजेंसी का चरित्र नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस अधिकार को उन्हें किसी भी कानून के तहत प्रदान नहीं किया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध किया जाता है, तो लोगों की एक सभा होती है

सजा नहीं दे सकते। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने या पुलिस को सूचित करने का अधिकार है। वे भी कर सकते हैं

सुविधा प्रदान करें ताकि अभियुक्त के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए। लेकिन, यह रुख रखते हुए कि वे जागरूकता फैला रहे हैं, वे वास्तव में न तो दूसरों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं और न ही अपने अवैध कार्यों को छिपा सकते हैं। बस इसकी अनुमति नहीं है। वास्तव में, इसकी कानून के लिए घृणित कार्य के रूप में निंदा की जानी चाहिए और इसलिए, इसे रोकना होगा। उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो अवैध है वह मान्यता की सराहना नहीं कर सकता है या

स्वीकृति "।

36. अब हम अमेरिकी न्यायालयों के कुछ अधिकारियों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने लिंचिंग के खतरे से निपटा है।

अमेरिकी समाज में समय के साथ यह बहुत प्रचलित था। द अमेरिकन

अदालतों ने इस खतरे की निंदा की और इससे सख्ती से निपटा ताकि इसे समाप्त किया जा सके। एक्स पार्टे रिगिन्स 1 8 एक नीग्रो नागरिक की लिंचिंग से जुड़ा मामला था जिसे हत्या के आरोप में जेल में

डाल दिया गया था। जब वह जेल में बंद था, भीड़ ने उसे हटा दिया और उसे फांसी पर लटका दिया। इसके बाद, उक्त फांसी में शामिल कुछ डकैत थे 18 (C.C.N.D। आला।, 1904) 134 फेड।

टेड। बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उक्त डकैतों के अभियोग को वैध बनाने के लिए कोई कानून नहीं था। आई. डी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए और अभियोग को बरकरार रखते हुए, थॉमस ले जोन्स, जे. ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

" जब कोई निजी व्यक्ति अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति को लेता है

राज्य को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने से रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों की अभिरक्षा से, और अपराध को दंडित करने के लिए उसे मौत की सजा देता है और ऐसे अधिकार का आनंद लेने से रोकने के लिए, यह हिंसक हड़पना और प्रयोग है, विशेष मामले में, उसी कार्य का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान स्वयं इस खंड [14 वां संशोधन] के तहत राज्य को नागरिक के हित में करने का निर्देश देता है। इस तरह की अराजकता सामान्य अपहरण से अलग है।

और हत्या, उस प्रमुख इरादे और वास्तविक परिणाम में न्याय प्रशासन और अपराध को दंडित करने के संप्रभु कार्यों के निजी व्यक्तियों द्वारा हड़पना और अभ्यास करना है, ताकि अपराध को हराया जा सके।

भूमि से। इस तरह की अराजकता का अपरिहार्य प्रभाव केवल राज्य को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए नहीं है, बल्कि अभियुक्त को सभी आनंद या अधिकारों के आनंद के अवसर से वंचित करना है। जिसे संविधान के इस खंड का उद्देश्य कानून की उचित प्रक्रिया को पूरा करने में शामिल सभी चीजों के राज्य द्वारा वास्तविक प्रदर्शन द्वारा उसके लिए काम करना था, जिसका आनंद लिया जा सकता है।

अपने व्यक्तिगत मामले में किसी अन्य तरीके से बाहर नहीं। इस तरह की अराजकता राज्य के कर्तव्य के प्रदर्शन और नागरिक को इसका लाभ उठाने के अवसर को बुरी कानूनों या अपने संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में राज्य के अधिकारियों की पक्षपात या अक्षमता की तुलना में प्रभावी और कहीं अधिक बार विफल कर देती है। यह एक महान, कुख्यात और बढ़ती हुई बुराई है, जो सीधे उस उद्देश्य पर हमला करती है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने देखा था।

जब यह राज्य पर कर्तव्य का आदेश देता है।

37. विल्सन वी। गार्सिया ", संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 1871 के नागरिक अधिकारों को अधिनियमित करते हुए संसद की बहसों पर लाल रंग दिया जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक हैं और निम्नानुसार पढ़े जाते हैं:

" जबकि हत्या विदेशों में छद्म रूप में पीछा कर रही है, जबकि व्हिपिंग और लिंचिंग और निर्वासन को बिना किसी अपराध के देखा गया है।

अमेरिकी नागरिक, स्थानीय प्रशासन पाए गए हैं

अमेरिका 261 (1985)

तहसीन एस. पूनावाला बनाम। भारत और अन्य का संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

उचित सुधार लागू करने के लिए अपर्याप्त या अनिच्छुक। संयोजन, रात की तुलना में गहरा जो उन्हें छुपाता है, षडचंत्र, दुष्ट के रूप में सबसे खराब अपराधी योजना बना सकते हैं, अनछुए हो गए हैं

न्याय की। अपराध के लिए उन्मुक्ति दी जाती है, और सार्वजनिक न्यायाधिकरणों के अभिलेखों की किसी भी प्रभावी साक्षय के लिए व्यर्थ खोज की जाती है। निवारण। 3 399

और पूरी तरह से नारकीय। यह बदहवास रूप से विकृत है। उपरोक्त में सुनवाई करते हुए, श्री हेगड़े ने, जैसा कि पहले कहा गया है, इस न्यायालय द्वारा दिशानिर्देशों के रूप में निर्धारित किए जाने वाले निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह ने प्रवासी भलाई संगठन बनाम पर भरोसा रखा है। भारत संघ और अन्य 20 यह प्रस्तुत करें कि ये दिशानिर्देश आई. पी. सी. की धारा 153 और 295 ए के तहत आते हैं और इस न्यायालय ने

उसी के साथ विस्तृत रूप से निपटा गया।

39. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लिंचिंग का कार्य गैरकानूनी है, लेकिन हम किसी विशेष मामले से चिंतित नहीं हैं क्योंकि यह एक व्यापक मामला बन गया है।

एक दूरगामी प्रभाव वाली घटना। जीवन और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आह्वान करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। गरिमा के साथ जीने और कानून द्वारा प्रदान की गई मानवता के साथ व्यवहार करने के अधिकार से बड़ा कोई अधिकार नहीं हो सकता है। कानून जो प्रदान करता है उसे वैध तरीकों से छीन लिया जा सकता है; यही कानून की मौलिक अवधारणा है। उक्त नींव को हिलाने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी नागरिक दूसरे की मानवीय गरिमा पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई कानून की गरिमा को धूमिल कर देगी। सभ्य समाज में कानून का डर ही अपराधों को रोकता है। लोकतांत्रिक एथेंस के कानूनी स्थान से शुरू होकर कानूनी तक आज के आधुनिक समाजों की व्यवस्था में, कानून निर्माता अपराधों को रोकने और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करने के लिए कुशल कौशल विकसित करते हैं, वे सड़कों पर भिड़ जाते हैं जो अंततः एक ऐसे वातावरण की ओर ले जाता है जो रक्तपात और आँसू का गवाह बनता है। जब निवारक उपाय विफल हो जाते हैं, तो अपराध होता है और फिर उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय करने होते हैं। हर स्तर पर उठाए जाने वाले कदम

कानून के कार्यान्वयन के लिए चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने आवश्यक हैं।

40. उपरोक्त को देखते हुए, हम निम्नलिखित जारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं -

दिशानिर्देश:

A. निवारक उपाय

(i) राज्य सरकारें प्रत्येक में नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित करेंगी, जो पुलिस अधीक्षक के पद से कम नहीं होगा।

जिला। ऐसे नोडल अधिकारी को भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने के लिए जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारियों में से एक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। वे एक विशेष कार्य बल का गठन करेंगे ताकि उन लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट प्राप्त की जा सके जिनके इस तरह के अपराध करने की संभावना है या जो नफरत फैलाने वाले, भड़काऊ भाषण फैलाने में शामिल हैं।

बयान और झूठी खबरें।

((ii) राज्य सरकारें तुरंत उन जिलों, उपमंडलों और/या गाँवों की पहचान करेंगी जहाँ लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाएं होती हैं।

मान लीजिए, पिछले पाँच वर्षों में हाल के दिनों में इसकी सूचना दी गई है। पहचान की प्रक्रिया इस निर्णय की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की समय अवधि डेटा संग्रह की आज की तेज दुनिया में कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(iii) संबंधित राज्यों के गृह विभाग के सचिव संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों को निर्देश/सलाह जारी करेंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिन्हित क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़ हिंसा की कोई भी घटना उनके संज्ञान में आने पर अतिरिक्त सतर्क रहें। (iv) इस प्रकार नामित नोडल अधिकारी जिले में स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ नियमित बैठकें (महीने में कम से कम एक बार) करेगा।

जिले के सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों के साथ मिलकर ताकि जिले में सतर्कता, भीड़ हिंसा या लिंचिंग की प्रवृत्तियों की पहचान की जा सके और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों या ऐसी प्रवृत्तियों को भड़काने के लिए किसी अन्य माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकें। नोडल अधिकारी ऐसी घटनाओं में लक्षित किसी भी समुदाय या जाति के खिलाफ शत्रुतापूर्ण वातावरण को खत्म करने का भी प्रयास करेगा। (v) संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशक/गृह विभाग के सचिव सभी नोडल अधिकारियों और राज्य पुलिस के साथ नियमित समीक्षा बैठकें (कम से कम तिमाही में एक बार) करेंगे।

खुफिया प्रमुख। नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर लिंचिंग और भीड़ हिंसा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए किसी भी अंतर-जिला समन्वय के मुद्दे को डी. जी. पी. के ध्यान में लाएंगे।

(vi) प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर करे।

उसकी राय, हिंसा का कारण बनने या सतर्कता के भेष में या अन्यथा लिंचिंग की तबाही मचाने की प्रवृत्ति रखती है। (vii) भारत सरकार के गृह विभाग को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और किसी भी जाति या समुदाय के खिलाफ भीड़ हिंसा और लिंचिंग की रोकथाम के उपायों की पहचान करने और सामाजिक न्याय और कानून के शासन के संवैधानिक लक्षय को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ पहल करनी चाहिए और समन्वय में काम करना चाहिए।

(viii) पुलिस महानिदेशक संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त के संबंध में पुलिस अधीक्षकों को एक परिपत्र जारी करेंगे।

अतीत की घटनाओं और महानिदेशक के कार्यालय द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र। इसका एकमात्र अर्थ है कि वहाँ

गश्त में गंभीरता होनी चाहिए ताकि ऐसे अपराधों में शामिल असामाजिक तत्वों को हतोत्साहित किया जाए और वे कानून की सीमाओं के भीतर रहें और इस प्रकार कानून को अपने हाथों में लेने के बारे में सोचने से भी डरें।

(ix) केंद्र और राज्य सरकारों को रेडियो और टेलीविजन और अधिकारियों सहित अन्य मीडिया मंचों पर प्रसारण करना चाहिए।

राज्यों के गृह विभाग और पुलिस की वेबसाइटों पर कहा गया है कि लिंचिंग और किसी भी प्रकार की भीड़ हिंसा कानून के तहत गंभीर परिणाम को आमंत्रित करेगी।

(x) यह केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा कि वे प्रसार पर अंकुश लगाने और रोकने के लिए कदम उठाएं।

गैरजिम्मेदाराना और विस्फोटक संदेश, वीडियो और अन्य सामग्री

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो किसी भी प्रकार की भीड़ हिंसा और लिंचिंग को उकसाने की प्रवृत्ति रखते हैं।

(xi) पुलिस आई. पी. सी. की धारा 153 ए और/या कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगी जो

ऐसी सामग्री जो भीड़ हिंसा और किसी भी प्रकार की लिंचिंग को उकसाने की संभावना हो। (xii) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उचित निर्देश/सलाह भी जारी करेगी जो स्थिति की गंभीरता और उठाए जाने वाले उपायों को दर्शाएगी।

18] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी.

उपचारात्मक उपाय

(i) राज्य पुलिस द्वारा उठाए गए निवारक उपायों के बावजूद, यदि

((ग) ऐसे अपराधों में जाँच की व्यक्तिगत रूप से नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी की जाएगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा कि - जाँच प्रभावी ढंग से की जाती है और ऐसे मामलों में आरोप पत्र प्राथमिकी दर्ज करने या आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(iv) राज्य सरकारें धारा के प्रावधानों के आलोक में एक लिंचिंग/भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजे की योजना तैयार करेंगी। 357 इस निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर सी. आर. पी. सी. मुआवजे की गणना के लिए उक्त योजना में, राज्य सरकारें शारीरिक चोट, मनोवैज्ञानिक चोट और रोजगार और शिक्षा के अवसरों के नुकसान और कानूनी और चिकित्सा खर्चों के कारण होने वाले खर्चों सहित आय के नुकसान की प्रकृति को ध्यान में रखेंगी। उक्त क्षतिपूर्ति योजना में भी एक प्रावधान होना चाहिए।

भीड़ हिंसा/लिंचिंग की घटना के तीस दिनों की अवधि के भीतर पीड़ितों या मृतक के निकट संबंधियों को अंतरिम राहत का भुगतान करने के लिए।

हर जिले में। ऐसी अदालतें दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करेंगी। अधिमानतः मुकदमा संज्ञान लेने की तारीख से छह महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह दिशा यह लंबित मामलों पर भी लागू होता है। जिला न्यायाधीश उन मामलों को जहां तक संभव हो एक क्षेत्राधिकार न्यायालय को सौंपेगा ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। यह देखना राज्य सरकारों और विशेष रूप से नोडल अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि अभियोजन एजेंसी सख्ती से काम ले।

मुकदमे को उचित रूप से आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है।

(vi) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में एक कठोर उदाहरण स्थापित करने के लिए, अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को दोषी ठहराए जाने पर, निचली अदालत को सामान्य रूप से

आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान।

(vii) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतें, किसी गवाह या लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर, ऐसा गवाह या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, सुरक्षा के लिए और गवाह की पहचान और पते को छिपाने के लिए ऐसे उपाय करता है, जो वह उचित समझता है।

(viii) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में पीड़ितों या मृतक के निकट संबंधियों को किसी भी अदालत से समय पर नोटिस दिया जाएगा। कार्यवाही और वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत, रिहाई, रिहाई और पैरोल जैसे आवेदनों के संबंध में मुकदमे में सुनवाई का हकदार होगा। उन्हें लिखित निवेदन दाखिल करने का भी अधिकार होगा।

(ix) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में पीड़ित (ओं) या मृतक के अगले रिश्तेदार को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त होगी यदि वह ऐसा करता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता पैनल में नामांकित लोगों में से अपनी पसंद के किसी भी वकील को चुनता है और नियुक्त करता है।

ग. दंडात्मक उपाय

(i) जहाँ भी यह पाया जाता है कि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। भीड़ हिंसा और लिंचिंग के किसी भी अपराध को रोकने और/या जांच करने और/या त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए, इसे जानबूझकर लापरवाही और/या कदाचार का कार्य माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और यह सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं है। विभागीय कार्रवाई को अधिमानतः छह महीने के भीतर पहली बार के प्राधिकारी द्वारा इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।

((ii) अरुमुगम सर्वई बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में। तमिलनाडु राज्य 2 1, राज्यों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ यदि यह पाया जाता है कि (i) ऐसे अधिकारियों ने घटना की पूर्व जानकारी होने के बावजूद घटना को नहीं रोका, या (ii) जहां घटना पहले ही हो चुकी है, तो ऐसे अधिकारियों ने तुरंत दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. जिन उपायों को करने का निर्देश दिया जाता है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अनुपालन की रिपोर्ट उक्त अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष दायर की जानी चाहिए।

42. हम जोर देकर नोट कर सकते हैं कि यह स्वयंसिद्ध है कि यह है

अपने नागरिकों से किए गए संवैधानिक वादों की रक्षा और सुरक्षा के लिए सकारात्मक और जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। भीड़तंत्र के भयानक कृत्यों को देश के कानून को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नागरिकों को बार-बार होने वाली हिंसा से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिसे "नया सामान्य" नहीं बनने दिया जा सकता है। राज्य अपने लोगों की बढ़ती गड़गड़ाहट को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि वुडरो विल्सन को उद्धृत करते हुए इसकी चिंता "लोगों की आवाज़ के साथ बजनी चाहिए"। स्थिति की अनिवार्यताओं के लिए हमें अपनी समावेशी और सभी को अपनाने वाली सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीर कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान करने की आवश्यकता है, जो बदले में संवैधानिक विश्वास की पुष्टि करेगा। हम कुछ अधिक और कुछ कम की उम्मीद नहीं करते हैं। 43. जिन निर्देशों को हमने पहले दिया है और जो हमने व्यक्त किया है, उसके अलावा, हम विधायिका, यानी संसद को लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध बनाने और उसके लिए पर्याप्त सजा प्रदान करने की सिफारिश करना उचित समझते हैं। हमने कहा है कि इस क्षेत्र में एक विशेष कानून के रूप में इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों में कानून के प्रति भय की भावना पैदा होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि कानून का डर और कानून की कमान के प्रति सम्मान एक सभ्य समाज की नींव है।

44. आगे के लिए मामलों को 20 अगस्त, 2018 को सूचीबद्ध किया जाए।

दिशा निर्देश।

नि

र्देश जारी किए गए।

निधि जैन